राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

अपील संख्या :–2294/2021

रमेश चन्द गुर्जर

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला वृत दौसा।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण क्षेत्र प्रथम ज्योति नगर जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.07.2021
आदेश की दिनांक : 15.02.2024

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री रणवीर सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड हिण्डौन सिटी के आदेश क्रमांक 4201–4332 दिनांक 29.01.1988 के द्वारा दिनांक 01.04.1985 से अर्द्धस्थाई घोषित किया गया तत्पश्चात अपीलार्थी को अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड दौसा के आदेश क्रमांक स्था.T/2011–12/1381–84 दिनांक 13.05.2011 द्वारा दैनिक वेतन पर प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.07.1982 से दो वर्ष पश्चात की तिथि दिनांक 01.07.1984 से अर्द्धस्थाई घोषित किये जाने का संशोधित आदेश दिया गया। अपीलार्थी को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ(1)एफ डी./व्यय–III/93 दिनांक 28.02.1994 तथा मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राज जयपुर के पत्रांक एफ (183) जन स्वा./कार्मिक/94–95/37758–907 दिनांक 14.07.1994 के अनुसार ग्रामीण जल योजनाओं पर कार्यप्रभावी कर्मचारी के रूप में जिन्होंने 31.12.1993 को 10 वर्ष अथवा अधिक का निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.04.1994 से राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत नियमित कर्मचारी घोषित किया गया। अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला वृत जयपुर के आदेश क्रमांक 16101–127 दिनांक 29.01.1999 के द्वारा

अपीलार्थी को 9 वर्षिय सेवा पूर्ण करने पर 9 वर्षिय चयनित वेतनमान का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1998 की वेतन श्रृंखला 3050–75–3950–4590 में दिनांक 01.01.1998 से वेतन नियतन कर वेतन स्थिरीकरण किया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1 / (3)वित व्यय–3 / 98 दिनांक 30.09.1998 के द्वारा दिये गए निर्देशों एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभिं. विभाग जयपुर क्षेत्र जयपुर के पत्रांक 15981–82 दिनांक 08.06.2003 की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा अर्द्धस्थाई तिथि से दिनांक 01.07.1984 से दिनांक 01.07.2002 को 18 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 4000–6000 में दिनांक 01.07.2002 से वेतन नियतन कर वेतन स्थिरीकरण किया गया। अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला वृत जयपुर के आदेश कमांक एस.ई.डी. / पीएच.2012–13 / 7760–7963 दिनांक 02.11.2012 द्वारा अपीलार्थी द्वारा अर्द्धस्थाई तिथि 01.07.1984 से 01.07.2011 को 27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप अपीलार्थी को 27 वर्षिय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.2011 से वेतन श्रृंखला 4000–6000 में वेतन नियतन कर वेतन स्थिरीकरण किया गया। अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर 30.06.2021 को राज्य सेवा से सेवानिवृत हो चुका है। अपीलार्थी को अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला वृत जयपुर के आदेश क्रमांक एस.ई.डी. / पी.एच. 2012–13 / 7760–7963 दिनांक 02.11.2012 के द्वारा 27 वर्षिय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रंखला 4000–6000 में दिनांक 01.07.2011 से दिया गया, जबकि अपीलार्थी को 27 वर्षिय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ अग्रिम पद की चयनित वेतन श्रंखला 5000–8000 में दिनांक 01.07.2011 से दिया जाना चाहिये था।

2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

> ''(क) यह कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को 27 वर्षिय तृतिय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 02. 11.2012 (प्रदर्श ए–1) के द्वारा वेतन श्रृंखला 4000–6000 में

दिनांक 01.07. 2011 से दिया गया है उस आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जावे कि अपीलार्थी को 27 वर्षिय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ अग्रिम पद की चयनित वेतन श्रंखला 5000—8000 में दिनांक 01.07.2011 से दिया जाकर पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन निर्धारण किया जावे व तदनुसार पीपीओ, जीपीओ व सीपीओ संशोधित किया जाकर समस्त लाभ दिलवाये जावें एवं एरियर राशि का भुगतान मय 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से किया जावे ।

(ख) खर्चा अपील दिलवाई जावे ।

(ग) अन्य अनुतोष जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाया जावे।''

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ अपीलार्थी अर्द्धस्थायी दिनांक 01.07.1984 से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2020 से श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग वृत जयपुर के पत्रांक एस.ई.डी./पी.एच./2012—13/7760 दिनांक 02.11.2012 द्वारा अपीलार्थी को (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 एवं राजस्थान वित्त विभाग के नियमानुसार कार्मिको को 27 वर्षीय च० वेतनगान का लाभ पे बैण्ड 5200—2020 में ग्रेड पे 2800/— रू0 में किया गया है। कार्मिको को 27 वर्षीय सेवा पर वेतन श्रृंखला 4000—6000 का लाभ नही दिया गया है, जबकि पे बैण्ड 5200—20200 में ग्रेड पे 2800/— रू. का पर किया गया है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 4000—6000 में दिया गय, जबकि अपीलार्थी 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ अग्रिम पद पर चयन श्रृंखला 5000—8000 में प्राप्त करने का अधिकारी है।

5. राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 और 2008 के अनुसार अपीलार्थी के संशोधित वेतनमानों की स्थिति निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	वर्ष 1998 से पूर्व	राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998	राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008
1.	950—1680	3050—4590	5200—20200 ग्रेड पे 1900
2.	1200—2050	4000—6000	5200—20200 ग्रेड पे 2400
3.	1320—2300	4500—7000	5200—20200 ग्रेड पे 2800
4.	1400—2600	5000—8000	9300—34800 ग्रेड पे 3200
5.	1640—2900	5500—9000	9300—34800 ग्रेड पे 3600
6.	2000—3200	6500—10500	9300—34800 ग्रेड पे 4200

6. वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.08.1992 के बिन्दु संख्या 4(ii), (iii) एवं बिन्दु संख्या 5 के प्रावधान निम्नानुसार है :—

"4.(ii) The Second Selection Grade, wherever admissible, in terms of this order, shall be the pay scale of the second promotion post available to that employee in the same service/cadre ; provided that in case the second promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of Rs. 2200-4000 (16) or there is no second promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the second Selection Grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held or the selection grade), as specified in paragraph 5.

(iii) The third Selection Grade, wherever admissible, in terms of this order, shall be the pay scale of the third promotion post available to that employee in the same service/cadre ; provided that in case the third promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of Rs. 2200-4000 (16) or there is no third promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the third Selection Grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held or the selection grade), as specified in paragraph 5.

5. In case there is no post for first, second or third promotion, as the case may be, in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the Selection Grades shall be as specified below :-

S. No.	***Existing Pay Scale***	***Selection Grade***
1	***2***	***3***
1.	*750-940 (1)*	*775-1025 (2)*
2.	*775-1025 (2)*	*800-1250 (3)*
3.	*800-1250 (3)*	*825-1350 (4)*

4.	*825-1350 (4)*	*950-1680 (6)*
5.	*910-1520 (5)*	*975-1720 (7)*
6.	*950-1680 (6)*	*1200-2050 (9)*
7.	*975-1720 (7)*	*1200-2050 (9)*
8.	*1025-1800 (8)*	*1400-2300 (10)*
9.	*1200-2050 (9)*	*1400-2600 (12)*
10.	*1400-2300 (10)*	*(i) in those cases where next promotion post is in a State service-2000-3200 (14)* *(ii) in other cases-1640-2900 (13)*
11.	*1400-2360 (11)*	
12.	*1400-2600 (12)*	
1	***2***	***3***
13.	*1640-2900 (13)*	*2000-3200 (14)*
14.	*2000-3200 (14)*	*2000-3500 (15)*
15.	*2000-3500 (15)*	*2200-4000 (16)"*

7. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.16(2)एफ.डी(रूल्स)/88 दिनांक 17.02.1998 के बिन्दु संख्या 4(i), (iii) एवं बिन्दु संख्या 5 के प्रावधान निम्नानुसार हैं :—

"4.(ii) The Second Selection Grade, wherever admissible, in terms of this order, shall be the pay scale of the second promotion post available to that employee in the same service/cadre ; provided that in case the second promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of Rs. 8000-13050 (13) or there is no second promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the second Selection Grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held or the selection grade), as specified in paragraph 5.

(iii) The third Selection Grade, wherever admissible, in terms of this order, shall be the pay scale of the third promotion post available to that employee in the same service/cadre ; provided that in case the third promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of Rs. 8000-13500 (13) or there is no third promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the third Selection Grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held or the selection grade), as specified in paragraph 5.

5. In case there is no post for first, second or third promotion, as the case may be, in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the Selection Grades shall be as specified below :-

S. No.	***Existing Pay Scale***	***Selection Grade***
1	***2***	***3***
1.	*2550-3200 (1)*	*2610-3540 (2)*
2.	*2610-3540 (2)*	*2650-4000 (3)*

1	*2*	*3*
3.	*2650-4000 (3)*	*2750-4400 (4)*
4.	*2750-4400 (4)*	*3050-4590 (6)*
5.	*2950-4475 (5)*	*3200-4900 (7)*
6.	*3050-4590 (6)*	*4000-6000 (9)*
7.	*3200-4900 (7)*	*4000-6000 (9)*
8.	*3400-5200 (8)*	*5000-8000 (10)*
9.	*4000-6000 (9)*	*5000-8000 (10)*
10.	*5000-8000 10)*	*(i)6500-10500 (12) in those cases where next promotion post is in a State Service.* *(ii) 5500-9000 (11) in other cases.*
11.	*5500-9000 (11)*	*6500-10500 (12)*
12.	*6500-10050 (12)*	*8000-13500 (13)"*

8. हमारे मत में अपीलार्थी को 27 वर्ष का चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने पर उसी वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण नहीं करके आगामी वेतन श्रृंखला में वेतनमान में वेतन का स्थिरीकरण दिया जाना चाहिए था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 3631/2008 सोहन लाल माथुर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.11.2008 में यह मत व्यक्त किया है कि जहां पर पदोन्नति पद का वेतनमान उसी वेतन श्रृंखला में है तो भी चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने पर आगामी वेतन श्रृंखला में वेतनमान निर्धारण किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

> "In the instant matter too the petitioner is holding the post of Fitter Gr.I and the pay scale of Foreman Gr.II is given to him. The pay scale applicable for the post of Fitter Gr.I and Foreman Gr.II is same. As per para 5 of the Government of Rajasthan's notifications dated 25.1.1992 and 17.2.1998, in such eventuality the employee is required to receive the next higher pay scale as prescribed in para 5 of the notifications aforesaid. The petitioner as per para 5 of the notification dated 25.1.1992 was entitled to receive second selection grade i.e. of Rs.1400-2600 instead of Rs.1200-2050. After revision of the pay scale the petitioner become entitled to get his pay fixed in the pay scale of Rs.5000-8000 instead of Rs.4000-6000. As a consequent to the fixation of the selection grades as above, the petitioner also become entitled for fixation in the pay scale of Rs.

5500-9000 instead of Rs.5000-8000 on getting third selection grade i.e. on completion of 27 years of service."

9. अतः हम अपीलार्थी की ओर से दिये गये तर्को से सहमत है कि अपीलार्थी चयनित वेतनमान के रूप में आगामी वेतनमान प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की उपरोक्त अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं। परिणामस्वरूप उपरोक्त अपील स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को 27 वर्ष का चयनित वेतनमान स्वीकार करते समय उनको आगामी वेतन श्रृंखला में वेतनमान दिया जाए। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थीगण द्वारा पूर्व में दिये गये आदेशों को वापस लिया जाकर इस निर्णय के अनुसार संशोधित आदेश जारी किया जाए। इस प्रकरण की स्थिति के अनुसार अपीलार्थी को वेतनमान मय पे–बैण्ड का लाभ दिया जाए और अपीलार्थी जो कि सेवानिवृत्त हो गया है, उनकों संशोधित जीपीओ, पीपीओ एवं सीपीओ जारी किया जाए और अपीलार्थी को बकाया राशि का भुगतान किया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य सरकार ने किसी वेतनमान की ग्रेड–पे में कोई बढ़ोतरी की है तो उसका लाभ भी अपीलार्थी को दिया जावे। आदेश की पालना 3 माह की अवधि में की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)